भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-217
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार के लिए योजनाएं

217. श्री बालक नाथः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रोजगार प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना राजस्थान में अलवर जिले के लिए चलाई जा रही है/चलाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय का राजस्थान में रोजगार प्रदान करने के लिए किसी निधि के निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के लिए मंत्रालय की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सहित देश में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का भी कार्यान्वयन किया है जो रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान कराती है। इस परियोजना के अंतर्गत, राजस्थान में 16 आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसीजी), जिसमें से एक अलवर में है, को अनुमोदन प्रदान किया गया है। एमसीसी का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से रोजगार के सभी संभावित अवसरों से जोड़ना, रोजगार मेलों का आयोजन करना, नियोक्ताओं को जुटाना, करियर परामर्श प्रदान करना है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राजस्थान सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और रोजगार सृजन, आजीविका अवसरों को सुदृढ़ करके स्व-रोजगार के संवर्धन द्वारा लोगों के जीवन की गुणवता में संपूर्ण सुधार लाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

स्टार्ट-अप इंडिया, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप व्यवसायों की वृद्धि के लिए सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल हो।

*****